



राजस्थान सरकार

## न्यायालय तहसीलदार गुड़ामालानी

प्रकरण संख्या 16/2025

प्रार्थी/सायल  
राजस्थान सरकार जरिये  
हल्का पटवारी खुडाला

बनाम

अप्रार्थी/गैर सायलान्  
रामाराम पुत्र गिरधारीराम जाति कलबी  
निवासी नई उन्दरी  
तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

प्रकरण अन्तर्गत धारा 91(2) राजस्थान भू - राजस्व अधिनियम 1956

दिनांक 27.11.2025

### निर्णय

प्रकरण से संक्षिप्त में तथ्य निम्न प्रकार है कि पटवारी हल्का खुडाला ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा नई उन्दरी राजकीय भूमि ख.न. 230/84 रकबा 0.0323 हैक्टेयर किस्म गै.मु. रास्ता(राजकीय भूमि) में से 0.0323 हैक्टेयर भूमि बाड़ बनाकर अतिचार/अनाधिकृत कब्जा कर रखा है। अतः गैर सायलान् के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने तथा उक्त भूमि से बेदखल करने का निवेदन किया। पटवारी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्ट्रर कर गैर सायलान् को नोटिस जारी किये गये।

गैर सायलान् को सुनवाई का दुबारा अवसर दिया गया। सुनवाई की नियत को सायल उपस्थित। गैर सायलान् अनुपस्थित। गैर सायल को सुनवाई का पूनः अवसर दिया जाकर पत्रावली 27.11.2025 पेश हुई। गैर सायल को सुनवाई का दुबारा मौका देने व खुले न्यायालय में तीन बार तीन-तीन आवाज लगाने के तदुपरान्त अनुपस्थित रहे। अतः गैर सायल के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

हमने पत्रावली का अध्ययन एवं अवलोकन किया। प्रश्नगत भूमि किस्म गैर मुमकिन रास्ता(सरकारी भूमि) है जिस पर गैर सायल का अनाधिकृत कब्जा साबित होता है। अतः गैर सायल को उक्त भूमि का अतिक्रमी घोषित किया जाकर लगान 0.03 का राउण्ड अप 1 रुपये का 50 गुना शास्ति आरोपित करते हुए 50 रुपये का जुर्माना आरोपित किया जाता है। गैर सायल को उक्त भूमि से बेदखल करने के आदेश दिये जाते हैं तथा अनाधिकृत रूप से किये गये कब्जे को हटाकर भूमि को सरकारी तहवील में लेने तथा नियमानुसार जुर्माना वसूल कर जुर्माना राशि राजकोष में जमा करवाने के आदेश दिये जाते हैं। बेदखली एवं जुर्माना वसूली हेतु संबंधित हल्का पटवारी व भू.अ.नि. तथा मांग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखाकार सूचित हो।

निर्णय आज दिनांक 27.11.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature valid

Digitally signed by Ishtar Lal Solanki (गैर सायलकी) (गै.मु.एस)  
Date: 2025.11.27 18:32:31 IST  
Reason: Approved

